



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-08042026-271635
CG-RJ-E-08042026-271635

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1707]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 8, 2026/चैत्र 18, 1948

No. 1707]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 8, 2026/CHAITRA 18, 1948

रेल मंत्रालय

(पश्चिम मध्य रेलवे)

अधिसूचना

कोटा, 6 अप्रैल, 2026

का.आ. 1775(अ).— केंद्रीय सरकार, रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 2 के खंड (37क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, "मथुरा – नागदा तीसरी एवं चौथी रेल लाइन परियोजना" को जन प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय अवसंरचना प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले, राजस्थान राज्य के भरतपुर करौली सवाई माधोपुर टोंक बूंदी कोटा झालावाड़ जिले में तथा मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर, रतलाम, उज्जैन जिले में भूमि अधिग्रहण हेतु आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित किया जाता है।

[कम्प्यूटर न. 377887 फा. सं. ई.-पमरे-केटीटीसी0इंजसी(एमआईसीएस)/11/2026-ओ/ओ उप.मुख्य इंजी/सी- II/कोटा]

पंकज सोईन, मुख्य परियोजना प्रबंधक, निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS**(West Central Railway)****NOTIFICATION**

Kota, the 6th April, 2026

S.O. 1775(E).— In exercise of the powers conferred by clause (37A) of section 2 of the Railway (Amendment) Act 2008, The Central Government hereby notifies “**Mathura–Nagda 3rd & 4th Line Project**” as Special Railway Project for acquisition of land in the District of Mathura of the state of Uttar Pradesh (U.P), in the Districts of Bharatpur, Karauli, Sawai Madhopur, Tonk, Bundi, Kota, Jhalawar of the state of Rajasthan and in the Districts of Mandsaur, Ratlam, Ujjain of the State of Madhya Pradesh for providing National Infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

[Computer No. 377887 F. No. E- WCR-KTTC0ENGC(MICS)/11/2026-O/o DY.CE/C-II/KOTA]

PANKAJ SOIN, Chief Project Manager, Construction